



UPAU120022912023

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बिधूना, औरैया।

सिविल वाद संख्या-414/2023

श्रीमती सुशीला देवी बनाम रामपाल सिंह आदि।

दिनांक-22.08.2025

1. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग मय शपथ पत्र 7ग व प्रतिवादीगण की आपत्ति कागज सं0-25ग/32ग मय शपथ पत्र 26ग/33ग पर पूर्व में नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग:-

2. संक्षेप में वादिनी का प्रार्थना पत्र का0सं0 6ग मय शपथ पत्र का0सं0 7ग के कथानक के अनुसार वादिनी भूमि संख्या 120/2 रकवा 0.409 हेक्टेयर के 1/3 भाग जिसकी चौहद्दी पूरव खेत राजकुमार, पश्चिम खेत बृजकिशोर, उत्तर सड़क बिधूना-सहार मार्ग, दक्षिण खेत प्रेमचन्द्र जिसे संलग्न वाद पत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी,ई,एफ से दर्शाया गया है, स्थित ग्राम डोंडापुर, परगना बिधूना, जिला औरैया की मालिक काबिज दखील संक्रमणीय भूमिधर है। वाद पत्र में इसी भूमि का विवाद है। विवादित भूमि वादिनी ने जरिये बैनामा दिनांकित 09.07.2018 उसके पूर्व मालिक सिया देवी से क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। सिया देवी ने विवादित भूमि को उसके असल मालिक मंगली प्रसाद से जरिये बैनामा दिनांक 29.05.2013 को क्रय किया था। मंगली प्रसाद को उक्त भूमि अपने पिता के भाई गजोधर प्रसाद से जरिये पंजीकृत वसीयत उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुई थी। गजोधर प्रसाद की शादी नहीं हुई थी और वे जीवन पर्यन्त अपने भाई बुद्धालाल के साथ रहे थे। उनकी मृत्यु के पहले ही विवादित भूमि की वसीयत अपने भाई के पुत्र कन्हैयालाल, बाबूराम, मंगलीप्रसाद के हक में कर दी थी। कन्हैयालाल, बाबूराम व मंगली प्रसाद के मध्य हुए आपसी सहमति से घरु बंटवारे में विवादित स्थल दर्शित नक्शा वाद पत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी,ई,एफ मंगली प्रसाद को मिला। विवादित भूमि में वादिनी द्वारा बैनामा दिनांक से काबिज दखील होकर उसें कृषि कार्य करवाया जाता रहा, मगर अब उसके पश्चिम में पेट्रोल पम्प बन जाने से अर्सा पूर्व से उसने उत्तरी भाग में पश्चिमी कोने पर चाय समौसा, टिक्की गुजिया, शीतल पेय व बीड़ी-तम्बाकू की दुकान चली आती है एवं बेसमेंट बनाया गया है तथा आठ हजार ईट व निर्माण सामग्री रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में साज करके विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल व वंचित करने के आशय से नुमाईशी बैनामा दिनांकित 27.06.2023 को निष्पादित किया। प्रतिवादीगण विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल व वंचित कर उस पर कब्जा नाजाय करने के प्रयास में है। यदि प्रतिवादीगण अवैधानिक कृत्य में सफल होते हैं, तो वादिनी की सख्त हकतल्फी व भारी नुकशान होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से सम्भव नहीं होगी। अतः वादपत्र व प्रार्थना पत्र 6ग में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का0सं0-6ग पर अपनी आपत्ति का0सं0 25ग/32ग मय शपथ पत्र 26ग/33ग प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कथन किया गया कि उक्त वाद कर्तई असत्य तथ्यों के आधार पर मनगढन्त कहानी बनाकर सहखातेदारी की भूमि पर उसके उपयोगी व कीमती भाग अपना स्वामित्व घोषित कराने की दूशित मंशा के चलते बेईमानी की नियत से पेशबन्दी में नाजायज दबाव बनाने के आशय से विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि संख्या 120/2 रकवा 0.409 हेक्टेयर का उसके सहखातेदारान के मध्य पहले बंटवारा नहीं हुआ था। वादिनी ने जो सड़क किनारे अपने निर्माण व कब्जा की बात कही है, वह पूर्णतया असत्य व तर्कहीन है। चूंकि सड़क तक सभी हिस्सेदारों का बराबर-बराबर हक है। विवादित भूमि के 1/3 भाग के हिस्सेदार बाबूराम ने अपना पूर्ण भाग जबर सिंह को विक्री कर दिया था और जबर सिंह ने उस 1/3 भाग को दिनांक 27.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय किया। जबर सिंह ने सन 2013 में विवादित भूमि के बंटवारा के बाबत न्यायालय उपजिलाधिकारी बिधूना, जिला औरैया में जबर सिंह बनाम मंगली प्रसाद आदि वाद दायर किया गया। दौरान विचारण जबर सिंह ने अपना 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया तथा काबिज दखील है। बंटवारा वाद के विचारण क्रम में दिनांक 18.10.2024 को कुरा निर्धारित किया गया और वाद डिक्री किया गया, जिसमें प्रतिवादी को कुरा नम्बर 6 निश्चित किया गया और वादिनी सुशीला को कुरा नम्बर 5 निर्धारित किया गया, जिसका नक्शा उत्तर पत्र के साथ संलग्न है। अब प्रतिवादी अपने कुरा नम्बर 6 पर काबिज है। अतः प्रार्थना है कि वादिनी का प्रार्थना पत्र 6ग संलग्न शपथ पत्र खारिज किया जावे।

4. वादिनी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 13ग के माध्यम से एक किता छायाप्रति बैनामा दिनांकित 09.07.2018 का0सं0 14ग, एक किता छायाप्रति बैनामा दिनांकित 29.05.2013, एक किता छायाप्रति उद्धरण खतौनी भूमि संख्या 120/2 रकवा 0.4090 हेक्टेयर का0सं0 15ग, एक किता सत्यप्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 27.06.2023 का0सं0 17ग, तीन किता मूल फोटो बाबत विवादित स्थल का0सं0 20ग तथा सूची दिनांकित 20.08.2025 के जरिये एक किता छायाप्रति तलास पता न्यायालय अपर आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, एक किता मैमों अपील सुशीला देवी बनाम रामपाल सिंह आदि न्यायालय अपर आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, एक किता सत्यप्रतिलिपि उद्धरण खतौनी व खसरा भूमि संख्या 120/2मि0 रकवा 0.1363 हेक्टेयर दाखिल किये गये हैं।

5. प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची दिनांकित 06.08.2025 के जरिये एक किता छायाप्रति उपजिलाधिकारी, बिधूना द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.10.2024, एक किता इजराय प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, तीन किता छायाप्रति मालियत के अनुसार कुरा, नक्शा नजरी कुरा गाटा संख्या 120/2 की छायाप्रति, नकल डिक्री दिनांकित 18.11.2024 की छायाप्रति, एक किता सत्यप्रतिलिपि उद्धरण खतौनी गाटा संख्या 120/2मि0 रकवा 0.1363 हेक्टेयर वहक रामपाल सिंह, एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खसरा गाटा संख्या 120/2मि0 रकवा 0.1363 हेक्टेयर, एक किता सत्यप्रतिलिपि उद्धरण खतौनी गाटा संख्या 173ख रकवा 0.0400 हेक्टेयर दाखिल किये गये हैं।

6. सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।
अस्थाई व्यादेश का अनुतोष पाने हेतु वादीगण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **Gujrat Bottling Co. Ltd.V. Coca Cola Company 1995(5) SCC 545** में दिये गये प्रतिस्थापित सिद्धान्तों के प्रकाश में निम्नलिखित तथ्यों को साबित करने का भार है।

- 1- प्रथम दृष्टया वाद का होना।
- 2- सुविधा का संतुलन होना।
- 3- वादिनी को अपूर्णनीय क्षति का होना।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम तारकेश्वर प्रसाद (2002) 93 आर0डी0 675** में अभिनिर्धारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय द्वारा मिनी ट्रायल करना उचित नहीं है।

(1) प्रथम दृष्टया वाद का होना :-

8. वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि वादिनी भूमि संख्या 120/2 रकवा 0.409 हेक्टेयर के 1/3 भाग जिसकी चौहद्दी पूरव खेत राजकुमार, पश्चिम खेत बृजकिशोर, उत्तर सड़क बिधूना-सहार मार्ग, दक्षिण खेत प्रेमचन्द्र, स्थित ग्राम डोंडापुर, परगना बिधूना, जिला औरैया की जरिये बैनामा दिनांकित 09.07.2018 मालिक काबिज एवं दखील है। उक्त विवादित भूमि के उत्तरी भाग में पश्चिमी कोने पर वह अपनी दुकान चला रही है। वादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसके पिता को उक्त भूमि घर बंटवारे में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। वादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची का0सं0 13ग से एक किता छायाप्रति बैनामा दिनांकित 09.07.2018 का0सं0 14ग, एक किता छायाप्रति बैनामा दिनांकित 29.05.2013, एक किता छायाप्रति उद्धरण खतौनी भूमि संख्या 120/2 रकवा 0.4090 हेक्टेयर का0सं0 15ग, एक किता सत्यप्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 27.06.2023 का0सं0 17ग एवं एक किता छायाप्रति तलास पता न्यायालय अपर आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, एक किता मैमों अपील सुशीला देवी बनाम रामपाल सिंह आदि न्यायालय अपर आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, एक किता सत्यप्रतिलिपि उद्धरण खतौनी व खसरा भूमि संख्या 120/2मि0 रकवा 0.1363 हेक्टेयर दाखिल किये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त विवादित भूमि संख्या 120/2 रकवा 0.409 हेक्टेयर का पूर्व में पहले कभी घर बंटवारा नहीं हुआ था। सभी हिस्सेदार सम्पूर्ण भूमि के मालिक व काबिज हैं। वादिनी सड़क के किनारे की कीमती जमीन को घर बंटवारे की आड़ में हथियाना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि के सरकारी बंटवारे के लिए राजस्व न्यायालय में मुकदमा योजित किया गया था, जो दिनांक 30.10.2024 को निर्णित किया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा सूची दिनांकित 06.08.2025 के जरिये एक किता छायाप्रति न्यायालय उपजिलाधिकारी, बिधूना द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.10.2024, नकल डिक्री दिनांकित 18.11.2024 की छायाप्रति एवं नक्शा नजरी कुरा निर्धारण गाटा संख्या 120/2 की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं। न्यायालय उपजिलाधिकारी बिधूना द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.10.2024 एवं नक्शा नजरी कुरा निर्धारण गाटा संख्या 120/2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुरा नम्बर 1 भूमि संख्या

120/2मि० रकवा 0.0341 हेक्टेयर प्रेमचन्द्र को दिया गया, कुरा नम्बर 2 भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.0341 हेक्टेयर रामविलास को दिया गया, कुरा नम्बर 3 भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.0341 हेक्टेयर चन्द्रेश्वरनाथ को दिया गया, कुरा नम्बर 4 भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.0341 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 बृजेन्द्र कुमार को दिया गया, **कुरा नम्बर 5 भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर वादिनी सुशीला देवी** को दिया गया तथा **कुरा नम्बर 6 भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रामपाल सिंह** को दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सूची के जरिये दाखिल एक किता सत्यप्रतिलिपि उद्धरण खतौनी गाटा संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर वहक रामपाल सिंह, एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खसरा गाटा संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खतौनी व खसरा में प्रतिवादी संख्या 1 रामपाल सिंह का नाम संकमणीय भूमिधर दर्ज है। वादिनी व प्रतिवादीगण दोनों ही विवादित भूमि पर सहखातेदार के रूप में मालिक व काबिज हैं। उक्त विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बिधूना द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.10.2024 को किया जा चुका है एवं पक्षकारों के कुरा निर्धारित किये जा चुके हैं। न्यायालय उपजिलाधिकारी बिधूना द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.10.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादिनी को कुरा नम्बर 5 दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामपाल सिंह को कुरा नम्बर 6 दिया गया तथा कुरा नम्बर 1 प्रेमचन्द्र, कुरा नम्बर 2 रामविलास, कुरा नम्बर 3 चन्द्रेश्वरनाथ एवं कुरा नम्बर 4 प्रतिवादी संख्या 3 बृजेन्द्र कुमार को दिया गया है। वादिनी द्वारा जिस बैनामा दिनांकित 09.07.2018 के जरिये स्वयं को विवादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज बताया जा रहा है, वह बंटवारे के पूर्व का है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि साझे की भूमि में प्रत्येक हिस्सेदार का बराबर-बराबर का हक व स्वामित्व होता है। वादिनी द्वारा सूची दिनांकित 20.08.2025 के जरिये एक किता छायाप्रति तलास पता न्यायालय अपर आयुक्त कानपुर मण्डल, एक किता मैमों अपील न्यायालय अपर आयुक्त कानपुर मण्डल, एक किता सत्यप्रतिलिपि उद्धरण खतौनी व खसरा भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर दाखिल किये गये हैं। वादिनी द्वारा जो तलाश पता न्यायालय अपर आयुक्त की छायाप्रति दाखिल की गयी है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बिधूना द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.10.2024 को स्थगित नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान में उपजिलाधिकारी बिधूना का उक्त निर्णय प्रभावी है। वादिनी द्वारा जो उद्धरण खतौनी भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर दाखिल की गयी है, उस पर वादिनी सुशीला देवी का नाम दर्ज है। भूमि संख्या 120/2मि० उद्धरण खतौनी व इन्तखाब खसरा में मिनजुमला नम्बर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो खतौनी भूमि संख्या 120/2मि० रकवा 0.1363 हेक्टेयर दाखिल की गयी है, उसमें खातेदार रामपाल सिंह का नाम दर्ज है। चूंकि विवादित भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारों के हिस्से/कुरा निर्धारित किये जा चुके हैं, इसलिए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादग्रस्त भूमि पर वादिनी का प्रथम दृष्टया केस विद्यमान है। ऐसी स्थिति में वादिनी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया केस विद्यमान प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं होता है।

9. **(2) सुविधा का संतुलन:-**

जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, तो यह अवलोकनीय है कि वादिनी प्रथम दृष्टया अपना वाद साबित करने में असफल रही हैं। अतः सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है।

10. **(3) अपूर्णनीय क्षति:-**

प्रस्तुत वाद में प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में नहीं पाया गया है। अतः वादिनी को कोई अपूर्णनीय क्षति कारित नहीं होती है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **काशी मठ संस्थान बनाम श्रीमद सुधीन्द्र स्वामी व अन्य AIR 2010 SC 296** में अवधारित किया गया है कि “It is well settled that in order to obtain an order of injunction, the party who seeks for grant of such injunction has to prove that he has made out a prima facie case to go for trial, the balance of convenience is also in his favour and he will suffer irreparable loss and injury if injunction is not granted. But it is equally well settled that when a party fails to prove prima facie case to go for trial, question of considering the balance of convenience or irreparable loss and injury to the party concerned would not be material at all, that is to say, if that party fails to prove prima facie case to go for trial, it is not open to court to grant injunction in his favour even if he has made out case of balance of convenience in his favour and would suffer irreparable loss and injury if no injunction order is granted.”

12. प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत है कि वादिनी अपना प्रथम दृष्टया वाद साबित करने में असफल रही है। अतएव उपरोक्त तथ्यों व विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादिनी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किया जाता है। तदनुसार प्रतिवादीगण की आपत्ति 25ग/32ग निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते तनकी विरचन हेतु दिनांक 23.10.2025 को पेश हो।

दिनांक-22.08.2025

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
JO Code : UP3441